338/5/10/

वित्तीय स्वीकृति

संख्या : 350 /XVII-1/2017-10(07)/2014

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, दिनांक 27 जुलाई, 2017.

विषयः उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास तथा रखरखाव हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास तथा रखरखाव हेतु प्राविधनित धनराशि में से संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. **संख्या–S1707310441, दिनांक 20.07.2017** के अनुसार **रूपये 8109000/– (रूपये इक्यासी लाख नौ हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31.03.2017 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाए।
3. आवंटित धनराशि केवल स्वीकृत मदों में ही व्यय की जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाए।
4. आवंटित धनराशि को समय से उपयोग करने के लिए सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारियों/सम्बन्धितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी.एम.–08 पर शासन को प्रेषित की जाए।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. आवंटित धनराशि का आहरण और व्यय, मासिक अथवा किश्तों में, वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाए। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाए और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत **आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर से स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा शासन की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहे।**

7. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अतः इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाए और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाए। **उदाहरणार्थ–फर्नीचर, साज–सज्जा, उपकरण क्रय, विद्युत प्रभार, स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी, पैट्रोल, डीजल आदि विभिन्न मदों में आसानी से बचत की योजना बनायी और क्रियान्वित की जा सकती है। जैसे–कच्चे कार्य हेतु एक ओर उपयोग किए जा चुके कागज का प्रयोग किया जाना, आवश्यकता अनुरूप पर्याप्त मात्रा में पूर्व से होते हुए बार–बार फर्नीचर क्रय से बचना, विद्युत उपकरणों का अनावश्यक उपयोग रोकना, लम्बी यात्राओं हेतु सार्वजनिक यातायात साधनों का प्रयोग करना, गाड़ी का अनावश्यक प्रयोग रोकना आदि कदम आसानी से उठाए जा सकते हैं।**
8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–31" के लेखाशीर्षक "2225–02–277–03 उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास तथा रखरखाव के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
9. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

~~संलग्नकः यथोपरि~~।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 358 (1)/XVII-1/2017-10(07)/2014, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
4. वित्त विभाग–01, उत्तराखण्ड शासन।
5. एन.आई.सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
6. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Social Welfare (S045)

आवंटन पत्र संख्या - 358 /XVII-1/2017-10(07)/2014

अनुदान संख्या - 031

अलोटमेंट आई डी - S1707310441

HOD Name - Director Tribal Welfare (4706)

आवंटन पत्र दिनांक -20-Jul-2017

1: लेखा शीर्षक 2225 - अनु0जातियों , अनु0जनजातियों तथ अन्य पिछड़े व — 02 - अ0सू0जन जातियों का कल्याण

277 - शिक्षा

03 - अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास तथा रखरखाव

00 - अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास तथा रखरखाव

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	3380000	3380000	6760000
02 - मजदूरी	20000	40000	60000
03 - महंगाई भत्ता	203000	203000	406000
04 - यात्रा व्यय	25000	50000	75000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	8000	17000	25000
06 - अन्य भत्ते	158000	315000	473000
08 - कार्यालय व्यय	27000	53000	80000
09 - विद्युत देय	83000	167000	250000
10 - जलकर / जल प्रभार	12000	23000	35000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	20000	40000	60000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	27000	53000	80000
13 - टेलीफोन पर व्यय	20000	40000	60000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	167000	333000	500000
18 - प्रकाशन	3000	7000	10000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	3000	7000	10000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	33000	67000	100000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	17000	33000	50000
29 - अनुरक्षण	33000	67000	100000
31 - सामग्री और सम्पूर्ति	200000	400000	600000
39 - औषधि तथा रसायन	10000	20000	30000
41 - भोजन व्यय	1333000	2667000	4000000
42 - अन्य व्यय	20000	40000	60000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	23000	47000	70000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	20000	40000	60000
	5845000	**8109000**	**13954000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 8109000